मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्
MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL
(Estb. on 1-4-1996 U\s 3 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Tele: (0755) 2767786
(0755) 2551568
Email: registrarmpmc@gmail.com
registrar.mpmc@mp.gov.in

F-7, Sanchi Complex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462 016
Web:www.mpmedicalcouncil.net

क्रमांक एमपीएमसी / शिका–28(2020) / 2022 / 620-621 भोपाल, दिनांक 13/5/2022

प्रति,

1. डॉ0 भावना शर्मा, कल्याण मेमोरियल हॉस्पिटल, ग्वालियर
2. डॉ0 के.जी. शर्मा, कल्याण मेमोरियल हॉस्पिटल, ग्वालियर

विषयः शिकायत प्रकरण क्रमांक शिका–28 / 2020 / 2022 (श्रीमती मंजू देवी तोमर विरूद्ध डॉ0 भावना शर्मा एवं डॉ0 के. जी. शर्मा) हॉस्पिटल द्वारा प्रसूता द्वारा जन्मे हुए नवजात मेल शिशु नहीं दिये जाने के संबंध में।

संदर्भः शिकायत पत्र दिनांक 01.12.2020

विषयान्तर्गत प्रकरण में लेख है कि आप, डॉ0 भावना शर्मा एवं डॉ0 के.जी. शर्मा कल्याण मेमोरियल हॉस्पिटल के चिकित्सक के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्रीमती मंजू देवी तोमर को उनके मेल शिशु के स्थान पर फीमेल शिशु दिये जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

उक्त शिकायत में आप, डॉ0 भावना शर्मा एवं डॉ0 के.जी. शर्मा के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में शपथ पत्र के साथ उक्त शिकायत को निराधार एवं असत्य होना तथा शिशु के डिस्चार्ज कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र पर त्रुटिवश फीमेल चाइल्ड लिखा जाना बताया गया।

उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 14487 / 2020 के आदेश दिनांक 20.12.2021 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

> *"Result from the DNA tests performed on the exhibits provided is sufficient to conclude that the source of exhibit B (Mr. Mahendra Singh) is the biological father of the source of exhibit A (Baby Aradhya Tomar)."*

अतः आप, डॉ0 भावना शर्मा एवं डॉ0 के.जी. शर्मा के द्वारा डिस्चार्ज कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र में की गई त्रुटि हेतु को चेतावनी जारी कर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के उपरोक्त आदेश के संदर्भ में प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा एवं
पदेन अध्यक्ष
म.प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल

पृ0 क्रमांक एमपीएमसी / शिका–28(2020) / 2022 / 622-624 भोपाल, दिनांक 13/5/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ–

1. श्रीमती मंजू देवी तोमर, 81, ग्राम– गोवर्धन, तहसील–पोहरी, जिला–शिवपुरी (म.प्र.) 473793
2. समस्त शाखा मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा एवं
पदेन अध्यक्ष
म.प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल